राजनीतिक

- **क्या आरबीआई प्रमुख शक्तिकांत दास अगले वित्त मंत्री होंगे**

आरबीआई के समारोह में प्रधानमंत्री के सफल दौरे के बाद, चर्चा है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास नरेंद्र मोदी की अगली सरकार में वित्त मंत्री हो सकते हैं। इस पर नज़र रखी जा सकती है।

- **बीजद के पोस्टरों से पांडियन की तस्वीर हटाई गई**

नुकसान को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए बीजेडी ने ओडिशा में नौकरशाह से राजनेता बने वीके पांडियन की तस्वीर हटा दी है। सूत्रों के अनुसार, अधिकांश नेताओं ने उनकी वजह से पार्टी छोड़ी है। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में आईएएस से इस्तीफा दे दिया था और बीजेडी के सदस्य बन गए थे।

प्रशासनिक

- **आईसीएएस के संबंध में सिविल सेवा बोर्ड का पुनर्गठन**

भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के संबंध में सिविल सेवा बोर्ड (सीएसबी) का पुनर्गठन किया गया है। सीजीए कार्यालय के अतिरिक्त सीजीए डॉ. शंकर मुरली को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि सीजीए कार्यालय के संयुक्त सीजीए संजल सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मुख्य लेखा नियंत्रक श्रीमती जसपाल कौर प्रद्योत इसके सदस्य होंगे।

- **अजय भटनागर को सर्वोच्च वेतन**

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक (जांच) अजय भटनागर को सर्वोच्च वेतन दिया गया है। वह झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **डॉ. विवेक गोगिया को बीपीआरएंडडी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार**

डॉ. विवेक गोगिया, निदेशक, एनसीआरबी को बालाजी श्रीवास्तव के सेवानिवृत्त होने पर एक महीने की अवधि के लिए या राजीव कुमार शर्मा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने तक अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे एजीएमयूटी कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **बिनोद कुमार सिंह को समय से पहले मूल कैडर में भेजा**

सीआरपीएफ के अतिरिक्त महानिदेशक बिनोद कुमार सिंह को समय से पहले उनके मूल कैडर यानी उत्तर प्रदेश वापस भेज दिया गया है। वह 1994 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **सतीश श्रीरामजी खंडारे को एडीजी, बीएसएफ के पद पर पदोन्नत किया गया**

बीएसएफ के आईजी सतीश श्रीरामजी खंडारे को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है और उन्हें 11 जुलाई, 2028 तक एडीजी, बीएसएफ के पद पर नियुक्त किया गया है (कुल मिलाकर पांच वर्ष का कार्यकाल)। वे एजीएमयूटी कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **राजेश कुमार एडीजी, सीआरपीएफ के पद पर पदोन्नत**

राजेश कुमार, आईजी, सीआरपीएफ को अतिरिक्त महानिदेशक, सीआरपीएफ के पद पर पदोन्नत किया गया है और 18 मार्च, 2025 तक (कुल 07 वर्ष का कार्यकाल) उनकी नियुक्ति की गई है। वे एजीएमयूटी कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **एनएसआईसी के सीएमडी पद के लिए डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य के आदेश में देरी क्यों**

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में डॉ. सुभ्रांशु शेखर आचार्य की नियुक्ति के आदेश अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिए गए हैं।

- **रवि जोसेफ लोक्कू एडीजी, बीपीआरएंडडी के पद पर पदोन्नत**

बीपीआरएंडडी के आईजी रवि जोसेफ लोक्कू को बीपीआरएंडडी का अतिरिक्त महानिदेशक बनाया गया है और उन्हें 31 अगस्त 2026 तक पदस्थ किया गया है। वे 1995 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **त्सावांग नामगियाल कालोन एडीजी, बीएसएफ नियुक्त**

एसएसबी के आईजी त्सावांग नामगियाल कालोन को अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है तथा 15 अगस्त, 2027 तक (संयुक्त कार्यकाल 05 वर्ष) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एडीजी के पद पर तैनात किया गया है। वे यूपी कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **पद्माकर रानीपसे सीआईएसएफ एडीजी नियुक्त**

सीआरपीएफ के आईजी पद्माकर एस रानीपसे को एडीजी के पद पर पदोन्नत कर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का एडीजी बनाया गया है। वे ओडिशा कैडर के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिडाना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के महानिदेशक का पदभार संभाला**

लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सिडाना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (डीजीईएमई) के महानिदेशक और ईएमई कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट का पदभार संभाल लिया है।

- **नीलाद्रि रॉय ईसीएल के सीएमडी पद की दौड़ में**

ईसीएल के निदेशक (तकनीकी) नीलाद्रि रॉय ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद की दौड़ में हैं।

- **सुश्री रिधिमा वशिष्ठ को रक्षा निदेशक के पद पर कार्यभार संभालने पर राहत मिली**

सुश्री रिधिमा वशिष्ठ को रक्षा मंत्रालय में निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया है। वह एक आईआरएस-आईटी अधिकारी हैं।

अब जेल जाने में भी डर रहे अपराधीः मुख्यमंत्री योगी

आगरा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को फतेहपुर सीकरी में अपनी रौ में थे। एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर प्रहार किया तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन को भी खूब लताड़ा। सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल का जिक्र कर लोगों से ही 'फिर एक बार मोदी सरकार' की हामी भरवाई तो विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि सपा-कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी, सांसद व भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के समर्थन में विशाल जनचौपाल को संबोधित किया।

माफिया में न हो डर तो गरीबों का जीना मुहाल कर देंगेः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले अधिकांश क्षेत्रों में सूर्य अस्त होने के बाद थानों में भी ताले लग जाते थे। सामान्य नागरिकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। अपराधी सोचते थे कि पिछली सरकारों की तरह ही यह सरकार भी रहेगी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम जीरो टालरेंस की नीति पर चलेंगे। तुम अपराध बंद करो या कीमत चुकाने को तैयार रहो। ज्यादातर अपराधी जमानत तुड़वाकर जेल में चले गए। अब तो कह रहे हैं कि हमें जेल भी न भेजें। अब वहां भी जाने से डर रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ज्यादातर अपराधी गली में तख्ती लगाकर घूम रहे हैं कि जिंदगी भर ठेला लगाकर पेट पाल लूंगा पर अब कुछ गलत काम नहीं करुंगा। बस एक बार जान बख्श दो।

उन्होंने कहा कि कानून का डर माफिया व अपराधियों पर न हो तो यह गरीबों, व्यापारियों व सामान्य नागरिकों का जीना मुहाल कर देंगे। यूपी में हर दूसरे दिन दंगा होता था। कांग्रेस व सपा की दंगा-कर्फ्यू पॉलिसी को जिस प्रदेश ने झेला है, वहां अब दंगा-कर्फ्यू नहीं चलेगा। यह प्रदेश अब उपद्रव बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि परंपरागत उत्सव के साथ जुड़ेगा। उत्सव प्रदेश मोदी की गारंटी पर विश्वास करता है।

दल मिला रहे पर दिल नहीं मिल पा रहे : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ओर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो दल को मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल नहीं मिल पा रहे हैं। इंडी गठबंधन में जो लोग हैं, उनकी स्थिति भी आप देख रहे होंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी, फिर भी वे गठबंधन का हिस्सा हैं। केरल में कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, लेकिन वे इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। यही हाल महाराष्ट्र समेत अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है।

समाज को सही दिशा देने में विद्या भारती का अभूतपूर्व योगदान : केसरवानी

प्रयागराज

पुरस्कार किसी व्यक्ति के जीवन में उत्साह एवं गति प्रदान करता है। यदि इसका प्रारम्भ छात्र जीवन से ही हो जाये तो निश्चित रुप से उन्हें नित नये कीर्तिमान स्थापित करने से कोई रोक नहीं सकता। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालय निरन्तर ऐसी प्रतिभाओं को तराश रहा है जो अपने भावी जीवन में भारतमाता के यश में श्रीवृद्धि करेंगे और समाज को सही दिशा प्रदान करने में अभूतपूर्व योगदान करेंगे।

उक्त विचार मुख्य अतिथि एवं महापौर गणेश केसरवानी ने मंगलवार की सायं सिविल लाइन स्थित ज्वाला देवी इण्टर कॉलेज में विद्यालय के वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह में व्यक्त किया। अंत में उन्होंने कहा कि इसके लिए सम्बन्धित संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्षता करते हुए प्रदेश निरीक्षक, काशी प्रान्त शेषधर द्विवेदी ने कहा कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों से निकले युवा आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहें हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाये गए मेक इन इंडिया कांसेप्ट के माध्यम से पूरे देश की दिशा एवं दशा परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाकर एक नये भारत का निर्माण कर रहे हैं। विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष च्यवन भार्गव ने कहा कि सफलता का कोई शार्टकट नहीं होता। सफलता सदैव कड़ी मेहनत, अनुशासन, लगन एवं देश हित में काम करने की भावना से ही मिलती है। मुझे गर्व है कि विद्या भारती ऐसे कर्मठ नवयुवकों को तैयार करने वाली खान के रुप में जानी जाती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि आज ज्वाला देवी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान है, जो विद्यार्थियों के जीवन को तराशने का कार्य करता है। विद्यालय का वार्षिक परीक्षाफल विद्यालय के परीक्षा प्रमुख सुरेश चन्द्र त्रिपाठी ने प्रस्तुत किया।

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किए विशेष पर्यवेक्षक

लखनऊ

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 और विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान चुनाव में धन, बाहुबल और अफवाहों से उत्पन्न चुनौतियों की कड़ी निगरानी करने के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश में सामान्य विशेष पर्यवेक्षक के रूप में सेवा निवृत्त आईएएस अजय वी नायक, सेवा निवृत्त आईपीएस मनमोहन सिंह को पुलिस विशेष पर्यवेक्षक तथा पूर्व आईआरएस इनकम टैक्स राजेश टुटेजा को विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों के पास संबंधित क्षेत्र के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में विशेषज्ञ है। नियुक्त किये गये विशेष पर्यवेक्षक प्रदेश में सतर्कता के साथ चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग द्वारा निर्वाचन में धनबल के दुरुपयोग, अवैध शराब और मुफ्त उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाती है। विशेष पर्यवेक्षकों को कर्मियों के रैंडमाइजेशन, सुरक्षा बलों और वोटिंग मशीनों की औचक निगरानी करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और समान अवसरों को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास को विफल किया जा सके।

मार्च माह में बाबा विश्वनाथ धाम में रिकॉर्ड आय 11 करोड़ 14 लाख रूपए का चढ़ावा

वाराणसी

भव्य और विस्तारित श्री काशी विश्वनाथ दरबार में रिकार्डतोड़ श्रद्धालुओं के आने के साथ मंदिर के आय में भी लगातार रिकार्ड वृद्धि हो रही है। इस वर्ष मार्च माह में बाबा के हुंडी में तीन करोड़,69 लाख,35 हजार,439 रुपये श्रद्धालुओं ने चढ़ाया।

मंदिर प्रशासन के अनुसार वर्ष 2023 ये आंकड़ा दो करोड़ 81 लाख दस हजार 730 रूपये रहा। वहीं, जुलाई 2023 में हुंडी में 2 करोड़ 08 लाख 81 हजार 497 रुपये चढ़ावे में आए थे। बैंक और ऑनलाइन माध्यम से इस साल मार्च 2024 में 7 करोड़ 13 लाख, 88 हजार,213 रुपये दान में मिले। मार्च 2023 में तीन करोड़, 90 लाख,38 हजार 180 रूपये चढ़ावा मिला था। जुलाई 2023 में पांच करोड़ 20 लाख 40 हजार 905 रूपये दान मिला था। अन्य श्रोतों से मार्च माह 2024 में 31 लाख, 39 हजार, मार्च 2023 में 59 लाख 66 हजार, जुलाई 2023 में 81 लाख 99 हजार रूपये दान में मिले थे। मार्च माह 2024 में मंदिर की कुल आय 11 करोड़,14 लाख,62 लाख रूपये रही।

इसी तरह मार्च 2023 में सात करोड़ 31 लाख,15 हजार,जुलाई 2023 में आठ करोड़,11 लाख, 21 हजार रूपये कुल आय रही। मंदिर प्रशासन के अनुसार मार्च माह 2024 धाम की सार्वकालिक सर्वाधिक आय वाला माह रहा। गौरतलब हो कि श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में मार्च माह में श्रद्धालुओं के आने का रिकार्ड बना। अंतिम दिन 31 मार्च को 636975 श्रद्धालु मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे थे। मार्च माह के 31 दिनों में 95,63,432 श्रद्धालु मंदिर आए। श्रद्धालुओं की संख्या 2023 के सावन माह के रिकार्ड को पीछे छोड़ दिया। श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के नव्य-भव्य स्वरूप का लोकार्पण होने के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है।

In The Court of I Additional Principal Judge , Family Court District Court Bhopal
Presiding Officer: समीर कुलश्रेष्ठ
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(RCSHM/0000110/2019)
निकुंज डिडवानिया...................... वादी
V/S अंकिता डिडवानिया .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 25/04/2024
प्रेषिती : (1) अंकिता डिडवानिया पति निकुंज डिडवानिया पता- फ्लेट नंबर 515, 5 फ्लोर ए ब्लाक ए स्वर्णा रेसीडेंसी कलांद हाला बेल माउंट पार्क के पास इंदौर मध्यप्रदेश 452010
यह कि प्रार्थी निकुंज डिडवानिया ने आपके विरुद्ध धारा 13 (1-क) हिन्दू विवाह अधिनियम के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 2 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।
समीर कुलश्रेष्ठ,
प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायाधीश, भोपाल के अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय भोपाल (म.प्र.)
026

In The Court Of IX Civil Judge Class-I District Court Bhopal
Presiding Officer: पूर्णिमा सैय्याम
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक)
(MJCSUC/0000009/2024)
सोना बाई........... आवेदक V/S
आयुक्त .... अनावेदक
Process Id- /2024
पेशी दिनांक : 06/05/2024
प्रेषिती : (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण (2) आम जनता
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोना बाई पता ने मृतक स्व. मुंशीलाल निवासी 03 कजलीखेड़ा, गणेश मंदिर के पास कालापानी कोलार रोड भोपाल की राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 6 मई 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 6 मई 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें, सूचना उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यह आज तारीख 23 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
कृपया ध्यान दें : यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
पूर्णिमा सैय्याम, (न्यायाधीश)
नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)
027

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल (म.प्र.)
प्र. क्र. 5692/अ-6/23-24
इश्तहार
आवेदक नीलेश शर्मा आ. लच्छीराम शर्मा निवासी एम.आई.जी. बी-27 गणपति इन्क्लेव द्वारा ग्राम नयापुरा स्थित खसरा नंबर/प्लाट नंबर भूखण्ड 48-ए ख. क्रमांक 25, 26, 26/1/2, 29/1 अन्य का अंश भाग क्षेत्रफल 1500 वर्गफिट पर विक्रय पत्र/फौती /वसीयत- नामा के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 19.4.2024 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 2.4.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार
तहसील कोलार जिला भोपाल
028

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-1, तहसील हुजूर जिला भोपाल
प्र. क्र. 7615/अ-6/सन् 23-24, मौजा-बगोनिया तहसील हुजूर भोपाल
उद्घोषणा पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चंद्रशेखर सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी 497/110 बाबूगंज लखनऊ म.प्र. द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 109, 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज के आधार पर क्रय की गई भूमि स्थित ग्राम तारा सेवनिया प.ह.नं. तहसील हुजूर हुजूर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 382/2 कुल रकबा 4.047 है. भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम पर किए जाने का अनुरोध किया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/ संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 08.04.2024 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक को 1.4.2024 को जारी किया गया।
नायब तहसीलदार
तहसील हुजूर जिला भोपाल
029

आपका राशिफल 04 अप्रैल

मेष (चू चे चो ला ली लू ले लो अ)
योजना क्रियान्वयन के लिए समय अच्छा व सकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। जीवन साथी अथवा यार दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। आत्मचिंतन करें। बिगड़ा कार्य बनेगा। शुभांक-5-7-9

वृष (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो)
व्यवसाय में प्रतिद्वंद्वी परेशान कर सकते है। समय लाभकारी सिद्ध होगा। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। दिमाग में निर्मूल तर्क-कुतर्क पैदा होंगे। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। व्यापार में स्थिति नरम रहेगी। शुभांक-4-6-8

मिथुन (का की कू घ ङ छ के को हा)
लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी। मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। धार्मिक यात्रा का योग बना है। शुभांक 5 7 9

कर्क (ही हू हे हो डा डी डू डे डो)
सैर सपाटे में समय व्यतीत होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगे। अपने हित के काम सुबह-सबेरे ही निपटा लें। पुराने मित्र के कारण कार्य बाधा हटेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आर्थिक लाभ हेतु किये गए कार्यों का तत्काल प्रतिफल मिलेगा। शुभांक-2-5-8

सिंह (मा मी मू मे मो टा टी टू टे)
अपने हितैषी ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। किसी से वाद-विवाद अथवा कहासुनी होने का भय रहेगा। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। जल्दबाजी में कोई भूल संभव है। आय-व्यय की स्थिति सामान्य रहेगी। शुभांक-1-3-5

कन्या (टो पा पी पू ष ण ठ पे पो)
बुरी संगति से बचें। आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। निर्मूल शंकाओं के कारण मनस्ताप भी पैदा हो सकते है। भय तथा शत्रुहानि की आशंका रहेगी। यात्रा का योग बन रहा है। शुभांक-3-5-7

तुला (रा री रु रे रो ता ती तू ते)
कारोबार के विस्तार का मानस बनेगा। शैक्षणिक कार्य आसानी से पूरे होते रहेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मन प्रसन्न रहेगा। अचल संपत्ति की खरीद अथवा कृषि उद्यम में रुचि पैदा होगी। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। शुभांक-3-5-8

वृश्चिक (तो ना नी नू ने नो या यी यू)
नये-नये व्यापारिक अनुबंध होंगे। मित्रों से सावधानी रखें तो ज्यादा उत्तम है। व्यसनों का त्याग करें. संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। कामकाज में अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। हरि करे सो खरी इसीलिए पूरे मनोयोग से कार्य करें। शुभांक 6 7 8

धनु (ये यो भा भी भू धा फा ढा भे)
कार्यक्षेत्र में खुशनुमा माहौल बनेगा। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने के प्रयास होंगे। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। पैतृक सम्पत्ति से लाभ होगा। शुभांक-1-4-6

मकर (भो जा जी खी खू खे खो गा गी)
भावनाओं का उद्वेग बढ़ेगा। जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात् दूर हो जाएगी। अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। शुभांक-4-6-7

कुंभ (गू गे गो सा सी सू से सो दा)
जीवनसाथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। एकाकी वृत्ति त्यागें। हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात् दूर हो जाएगी। अपने काम आसानी से बनाते चले जाएंगे। साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा। कार्य सफल होंगे। शुभांक 2 4 6

मीन (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची)
मेहमानों का आगमन होगा। राजकीय कार्यों से लाभ। पैतृक सम्पत्ति से लाभ। पुरानी गलती का पश्चाताप होगा। विद्यार्थियों को लाभ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। परिवारजनों का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। शुभांक-5-7-9

In The Court Of XII Additional District Judge District Court Bhopal
Presiding Officer: संतोष कुमार कोल
(आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 278 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक)
(MJCSUC/0000043/2024)
ज्योति सिंघई........... आवेदक V/S
सर्वसाधारण............ अनावेदक
Process Id- /2024
पेशी दिनांक : 09/05/2024
प्रेषिती : (1) सर्वसाधारण पता- सर्वसाधारण (2) आम जनता
आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ज्योति सिंघई पता ने मृतक श्रीमती मंजू जैन निवासी ए-8 कंफर्ट लेक चूना भट्टी भोपाल की एसबीआई शाखा मैनेट भोपाल के लाकर क्र. 77 के संबंध में राशि/ संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 9 मई 2024 को नियत है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/ संरक्षक होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 9 मई 2024 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें, सूचना उपरांत यदि अनुपस्थिति रहे तो प्रकरण की सुनवाई एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। यह आज तारीख 9 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
कृपया ध्यान दें : यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
संतोष कुमार कोल, (न्यायाधीश)
बारहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल (म.प्र.)
030

In The Court of Motor Accident Claims Tribunal, District Court Bhopal
Presiding Officer: अमिताभ मिश्रा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0001337/2023)
मधु सक्सेना...................... वादी
V/S अजीज खान .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 3/05/2024
प्रेषिती : (1) अजीज खान पिता शरीफ खान पता- निवासी झुग्गी नंबर 324 कोलार सी.एल.वाय, भोपाल म.प्र.। (2) तुलाराम चौहान पिता भवानी सिंह चौहान पता- निवासी मकान नंबर सी 15 गायत्री परिसर श्रीराम कालोनी होशंगाबाद रोड भोपाल म.प्र.।
यह कि प्रार्थी मधु सक्सेना ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 1 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।
अमिताभ मिश्र, न्यायाधीश
सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भोपाल म.प्र.
031

In The Court of III Additional Motor Accident Claims Tribunal District Court Bhopal
Presiding Officer: अरविन्द कुमार शर्मा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(MACC/0002234/2022)
मो. शफीक मंसूरी...................... वादी
V/S शंकर कपूर .... प्रतिवादी
Process Id-/2024
पेशी दिनांक : 2/05/2024
प्रेषिती : (1) हीरा सिंह पिता तेजिन्दर सिंह अरोरा पता- म.नं. ए-73 अमर निवास टीला जमालपुरा भोपाल।
यह कि प्रार्थी मो. शफीक मंसूरी ने आपके विरुद्ध आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात/हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करे और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 27 मार्च 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्य दिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जाएगा।
अरविन्द कुमार शर्मा, न्यायाधीश
तृतीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जिला न्यायालय भोपाल
032

न्यायालय तहसीलदार नजूल वृत्त एम.पी. नगर भोपाल
(7 नंबर बस स्टाप शिवाजी नगर भोपाल)
प्रकरण क्रमांक 0124/अ-3/2023-24
इश्तहार
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री जनक सिंह ठाकुर आ. पी.एस. ठाकुर निवास खजूरी खुर्द भोपाल में ग्राम खजूरी खुर्द स्थित भूमि खसरा क्रमांक 6/25/1/2/1 रकबा 0.0525 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।
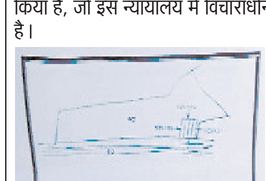
उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक से 8.4.2024 के अंदर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत करे। निर्धारित अवधि व्यतीय हो जाने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 3/4/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।
तहसीलदार
नजूल एम.पी. नगर वृत्त भोपाल
033